संख्या–पी-103/81-2-2023-800(131)/2023

प्रेषक,

नीता चौधरी,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 24 मई 2023

विषय- कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर में दिल्ली-कानपुर मार्ग (एन0एच0-91) के किमी0 60 (चैनेज 59.180) की दांयी पटरी के किनारे ग्राम लालपुर के खसरा संख्या-165 में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो0 लि0 के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.1689245 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/अदर्स/30840/2017)

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-2991/11-सी-एफपी/यूपी/अदर्स/30840/2017 दिनांक 20.03.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के पृष्ठ-81 पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विवरण उपलब्ध कराते हुए कतिपय कार्मिकों का स्पष्टीकरण मांगा गया है, जो निम्नवत है :-

क्र0	नाम	पदनाम
1	श्री मुकेश सिरोही	प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी, स्याना।
2	श्री वीरेन्द्र कुमार	सैक्षन प्रभारी, सिकन्द्राबाद स्याना रेंज।
3	श्री लोकेश कुमार	बीट प्रभारी, सिकन्द्राबाद स्याना रेंज।

2 - इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि क्या उपरोक्त कार्मिकों के विरूद्ध कार्यवाही पूर्ण किये बिना अग्रेतर कार्यवाही किया जाना नियमाकूल है ?

कृपया उपरोक्तानुसार स्थिति स्पष्ट करते हुए अपनी सुस्पष्ट संस्तुति सहित आख्या/अभिलेख शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

Signed by नीता चौधरी
Date: 24-05-2023 17:55:45
Reason: Approved

(नीता चौधरी)
उप सचिव।